1388 (17)

झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

निगम कार्यालय: अभियंत्रण भवन,
एच. ई. सी. धुर्वा, राँची — 834004
(CIN: U40108JH2013SGC001603)

कार्यालय आदेश संख्या 105 दिनांक 16-01-2018

संचिका संख्या — VI/ कार्मिक/ बोर्ड/ मुआवजा - 4097/ 2009 (खण्ड)

निदेशक पर्षद के Item No. 07—16—03 द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में कार्यालय आदेश संख्या 1537 दिनांक 19.09.2009 एवं कार्यालय आदेश संख्या 542 दिनांक 13.04.2011 को निरस्त करते हुए कार्यालय आदेश संख्या 1119 दिनांक 25.09.2006 में उल्लेखित शर्तो को यथावत रखते हुए दुर्घटना मुआवजा राशि झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं अनुषंगी कम्पनियों के अधीन अनुबन्ध पर कार्यरत प्रशिक्षु सहायक नियंत्रक, प्रशिक्षु सहायक परिचालक, प्रशिक्षु बटन—पट—चालक, प्रशिक्षु कनीय सारणी पुरुष/ मानवदिवस कर्मी के लिए में निम्न हद तक संशोधित किया जाता है :—

क्रमांक			क्षति का स्वरुप	संशोधित मुआवजा राशि
1.	a)		मृत्यु होने पर	₹2,50,000.00
	b)	i)	दो अंग (Limb) एवं दोनों आँखें या एक अंग (Limb) और एक आँख	₹ 1,00,000.00
		ii)	एक अंग (Limb) या एक आँख	₹ 75,000.00

इसके अतिरिक्त झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं इसके अनुषंगी कम्पनियों के अधीन अनुबन्ध के आधार पर कार्यरत प्रशिक्षु सहायक नियंत्रक, प्रशिक्षु सहायक परिचालक, प्रशिक्षु बटन पट चालक, प्रशिक्षु कनीय सारणी पुरुष/ मानव दिवस कर्मियों के लिए निम्न प्रावधान लागू रहेंगे:—

(क) अनुबन्ध के आधार पर कार्यरत प्रशिक्षु कर्मचारियों/ मानव दिवस कर्मियों को कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने पर चिकित्सा का खर्च बोर्ड के नियमानुसार वहन किया जाएगा।

(ख) दुर्घटना की तिथि से कार्य करने योग्य होने तक की अवधि को कार्य पर मानते हुए नियमानुसार अनुबन्ध/ मानव दिवस कर्मियों को मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

बाहरी व्यक्तियों के विद्युत स्पर्शाघात से दुर्घटना ग्रस्त/ मृत्यु होने पर कार्यालय आदेश संख्या 1119 दिनांक 25.09.2006 में निहित शर्ते यथावत रखते हुए दुर्घटना मुआवजा के रुप में निम्न राशि की भुगतान की स्वीकृति दी जाती है:—

क्रमांक			क्षति का स्वरुप	संशोधित मुआवजा राशि
1.	a)		मृत्यु होने पर	₹2,00,000.00
	b)	i)	दो अंग (Limb) एवं दोनों आँखें या एक अंग (Limb) और एक आँख	₹ 75,000.00
		ii)	एक अंग (Limb) या एक आँख	₹50,000.00

ह0/—
(चन्द्रशेखर आजाद)
उप महाप्रबन्धक (कार्मिक)

कृपया पृष्ठ उलटें

(387) 16

ज्ञापांक.. दिनांक....................

प्रतिलिपि निदेशक (प्रोजेक्ट एण्ड पीआर), अध्यक्ष--सह--प्रबन्ध निदेशक प्रकोष्ठ, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, राँची/ तकनीकी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड/ तकनीकी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड/ तकनीकी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, राँची/ निदेशक (वित्त), झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड/ निदेशक (वित्त), झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड/ निदेशक (ओ. एण्ड एम.), झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड/ निदेशक (प्रोजेक्ट), झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड/ अभियंता प्रमुख के तकनीकी सचिव/ महाप्रबन्धक (कार्मिक--सह--सामान्य प्रशासन), झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के निजी सहायक/ सभी संयुक्त सचिव, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं अनुषंगी कम्पनियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/--
(चन्द्रशेखर आजाद)
उप महाप्रबन्धक (कार्मिक)

ज्ञापांक.. दिनांक....................

प्रतिलिपि सभी मुख्य अभियंता/ वित्त नियंत्रक/ लेखा नियंत्रक/ वरीय विधि परामर्शी--सह--अपर सचिव/ सभी उप महाप्रबन्धक (वित्त/ लेखा/ कार्मिक/ जनसम्पर्क)/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता/ सभी वरीय प्रबन्धक (वित्त/ लेखा/ कार्मिक)/ उप विधि परामर्शी/ सभी अवर सचिव/ सभी लेखा पदाधिकारी/ सभी सहायक अभियंता/ सभी विधि पदाधिकारी, निगम मुख्यालय, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, राँची एवं अनुषंगी कम्पनियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/--
(चन्द्रशेखर आजाद)
उप महाप्रबन्धक (कार्मिक)

ज्ञापांक.........101.......... दिनांक....16/01/15....

प्रतिलिपि महाप्रबन्धक, पतरातू वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान, पतरातू/ सभी महाप्रबन्धक सह मुख्य अभियंता, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र/ संचरण प्रक्षेत्र/ सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल/ संचरण अंचल/ सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल/ संचरण प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.1.015
(चन्द्रशेखर आजाद)
उप महाप्रबन्धक (कार्मिक)